1213085/23-1-13

पत्र सं0- C.G.R.C / 1253 /वाणिज्य कर

कार्यालय कमिश्नर , वाणिज्य कर उत्तर प्रदेश

(C.G.R.C अनुभाग)

लखनऊ :: दिनांक :: 21 जनवरी , 2013

समस्त जोनल एडीशनल कमिश्नर,
एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-2(वि0अनु0शा),
ज्वाइन्ट कमिश्नर(कार्यपालक)/(वि0अनु0शा0)
<u>वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश</u>

कृपया मुख्यालय के पत्र संख्या -एडी0कमि0(प्रशा0) कैम्प /100/वाणिज्य कर दिनांक 20-11-2012 द्वारा जारी कार्यालय ज्ञाप का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करे जिसके द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा व्यापारियो की परेशानी कम करने एवं उनका उत्पीडन समाप्त किये जाने की घोषणा के क्रियान्वयन हेतु मुख्यालय पर केन्द्रीय कठिनाई निवारण प्रकोष्ठ (C.G.R.C) मुख्यालय के केन्द्रीय नियंत्रण कक्ष मे एवं प्रदेश के 16 जोन मुख्यालयों पर एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-2 (वि0अनु0शा0) के निर्देशन/पर्यवेक्षण मे संचालित जोनल नियंत्रण कक्षों मे जोनल कठिनाई निवारण प्रकोष्ठ (**Z.G.R.C**) स्थापित किये गये है ।

उक्त कार्यालय ज्ञाप द्वारा जोनल कठिनाई निवारण प्रकोष्ठ (**Z.G.R.C**) के माध्यम से आन लाइन सम्पादित किये जाने वाले कार्यो के सम्बन्ध में विस्तृत निर्देश दिये गये हैं ।

मुख्यालय स्तर पर उपरोक्त सम्बन्ध में कृत कार्यवाही की समीक्षा पर यह तथ्य प्रकाश में आया है कि केन्द्रीय कठिनाई निवारण प्रकोष्ठ (C.G.R.C) मुख्यालय से जोनल कठिनाई निवारण प्रकोष्ठ (Z.G.R.C) को सन्दर्भित किये गये संकेतों में उल्लिखित तथ्यों के सम्बन्ध में सन्दर्भ अधिकारी द्वारा कृत कार्यवाही / जॉच एवं तत्क्रम में लिये गये निर्णय का उल्लेख अति संक्षिप्त रुप से अंकित किया गया है जिससे यह परिलक्षित नहीं होता है कि सन्दर्भ अधिकारी द्वारा शिकायत के तथ्यों के सम्बन्ध में नियमानुसार कार्यवाही सम्पादित कर ली गयी है । इस सम्बन्ध में मुख्यालय के उक्त कार्यालय ज्ञाप दिनॉक 20-11-12 के प्रस्तर-3(घ) में सन्दर्भ अधिकारी के पर्यवेक्षक अधिकारी के दायित्व एवं जोनल एडीशनल कमिश्नर के दायित्व एवं कार्य निर्धारित करते हुये निर्देशित किया गया है कि निस्तारित संकेतों को साफ्ट वेयर में लाग इन करके उसकी समीक्षा / अनुश्रवंण अथवा भौतिक सत्यापन करते हुये गुणवत्तापरक निस्तारण सुनिश्चित किया जाये ।

उपरोक्त सम्बन्ध में पुन: निर्देशित किया जाता है कि मुख्यालय के उपरोक्त सन्दर्भित कार्यालय ज्ञाप द्वारा निर्धारित प्रक्रिया व इसकी मूल भावना के अनुसार संकेतों का समयबद्ध निस्तारण कराना सुनिश्चित करें ।

18/1/13

(कामिनी चौहान रतन)
एडीशनल कमिश्नर वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश ,लखनऊ ।